इन्दिरा गाँधी सहकारी प्रबन्ध संस्थान

ब्लाक–बी, सेक्टर–18, राजाजीपुरम, लखनऊ–17

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार सेवाप्रदाता फर्म द्वारा प्रत्येक गार्ड पर अनुमानित व्यय का प्रारूप :

क्र सं	मैनपावर का विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी प्रति गार्ड (12 घंटे हेतु) (रूपये में)	ईपीएफ की राशि (रूपये में)	ईएसआई की राशि (रूपये में)	सर्विस चार्ज की राशि (रूपये में)	मासिक न्यूनतम मजदूरी प्रति गार्ड (रूपये में)	कालम 7 पर अंकित राशि पर देय जी0एस0टी0 की राशि (रूपये में)	कुल राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9
1.	सुरक्षागार्ड (डंडाधारी)							
2.	सुरक्षागार्ड (बदूंकधारी)							

2. सेवाप्रदाता फर्म द्वारा निम्न दस्तावेज सलंग्न किये जाने हैं। दस्तावेज की छायाप्रति जमा न करने पर कोटेशन स्वीकार नही किया जायेगा (संस्थान द्वारा फर्म का चयन किये जाने की स्थिति में मूल प्रतियां (Original) प्रस्तुत करना होगा):

(क) PSAR Act–2005 के अर्न्तगत प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने के लिये डी0जी0पी0 कार्यालय द्वारा निर्गत मान्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति

(ख) कम्पनी का सक्षिंप्त प्रोफाईल और इसी तरह के करार को सफलतापूर्वक सम्पादित करने के साक्ष्य के रूप में पिछले तीन वर्ष के रिर्टन प्रस्तुत करें।

(ग) विगत 3 वर्ष के दौरान ग्राहकों की सूची, दिये गये कार्यो के साथ।

(घ) पैन सं0 और वर्तमान आयकर बेबाकी प्रमाण पत्र।

(ड) ईपीएफ पंजीकरण की सत्यापित प्रति।

(च) ईएसआई पंजीकरण की सत्यापित प्रति।

(ज) जी0एस0टी0 पंजीकरण की सत्यापित प्रति तथा जी एस टी नम्बर।

(झ) कम से कम पचास (50) व्यक्तियों के ई0पी0एफ0 के चालान की प्रति।

(य) कम से कम पचास (50) व्यक्तियों के ई0एस0आई0ई0 के चालान की प्रति।

(र) कम्पनी आई0एस0ओ0 प्रमाणित हो उसकी प्रति।

3. नियम व शर्ते

(क) करार देने वाली एजेंसी अपने कर्मचारियों को मजदूरी भुगतान करने के बाद साक्ष्य के रूप में दो प्रतियों में इनवाइस/बिल निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगीं

1. स्टाफ को प्रत्येक भुगतान करने के आर टी जी एस/NEFT चेक विवरण प्रस्तुत करना।
2. सांविधिक भुगतान का साक्ष्य यथा इपीएफ, इएसआई अन्य कोई लागू कर।

(ख) करार करने वाली एजेंसी अपने सभी नियुक्त गार्ड को कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में पहचान पत्र उपलब्ध करायेगी जो कि करार की अवधि तक वैध रहेंगे।

(ग) यदि कोई गार्ड किसी कारणवश ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर किसी दूसरे गार्ड की ड्यूटी फर्म को देनी होगी।

(घ) यदि कोई अनुपस्थित रहता है तो उसकी कटौती गणना निम्न सूत्र से की जायेगी

$$\text{कटौती} = \frac{\text{मासिक (न्यूनतम मजदूर) पारिश्रमिक x अनुपस्थित दिनों की संख्या}}{\text{महीने के दिनों की संख्या}}$$

(ड़) यदि कोई नुकसान, चोरी, तोड़फोड़ नियुक्त कार्मिक के द्वारा की जाती है, तो कार्यालय के पास करार एजेंसी से नुकसान की वसूली का दावा करने का अधिकार सुरक्षित है।

(च) करार करने वाली एजेंसी द्वारा नियुक्त करने से पहले सभी कामगारों का पूर्ववृत्त पुलिस से सत्यापित करके कार्य और साक्ष्य के लिये प्रस्तुत करना है।

(छ) करार करने वाली एजेंसी प्रशिक्षित/वयवसायिक सुरक्षा गार्ड/ पर्यवेक्षक, विशेषतः भूतपूर्व सैनिक जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम अर्थात शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सतर्क हों उनकी तैनाती करेगी। वरीयता भूतपूर्व सैनिकों को दी जाये। करार करने वाली एजेंसी सुनिश्चित करें कि तैनात किये गये सुरक्षा गार्ड/ सुरक्षा पर्यवेक्षक को कोई संचारी रोग/संक्रमित बीमारी न हो।

(ज) करार करने वाली एजेंसी द्वारा नियुक्त सुरक्षा गार्ड/ सुरक्षा पर्यवेक्षक के लिये छोटा कमरा उपलब्ध करायेगा कमरे पर नामपटिट्का लगाने की अनुमति नही होगी और करार एजेंसी के ड्यूटी स्टाफ के अतिरिक्त और किसी के ठहरने की अनुमति नही होगी।

(झ) करार करने वाली एजेंसी अपने कार्मिकों को पूरे वर्ष साफ–सूथरी यूनिफोर्म उपलब्ध करायेगी।

(ट) एजेंसी अपने स्टाफ का आकस्मिक निरीक्षण करेगी।